न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 12/2024/अपील

1. चिमनाराम पुत्र गंगा
2. कुशलाराम पुत्र मोहन
3. मदनसिंह पुत्र दल्लाराम
4. श्रवण कुमार पुत्र दल्लाराम
5. शिशपालसिंह पुत्र दल्लाराम
6. हरपालसिंह पुत्र दल्लाराम
7. सरजीत पुत्र मोहन

समस्त जाति जाट,
निवासीगण ग्राम भोज्याणा,
तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध तहसीलदार सीकर के नामान्तरकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा आज्ञा दिनांक 25.01.2024

निर्णय

दिनांकः 03.12.2024

1. अपीलांट **चिमनाराम आदि** की ओर से यह अपील वकील **श्री सागरमल धायल** द्वारा भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार सीकर के नामान्तरकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा आज्ञा दिनांक 25.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

(1) विवादित आराजी खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.60 हैक्टेयर तन ग्राम बेरी वर्तमान ग्राम भोज्याणा में स्थित है, जिसकी किस्म चारागाह भूमि रही है। उक्त भूमि में से ग्राम बेरी से झाझड़ जाने वाली सड़क से टलकर एक आम रास्ता अपीलांट की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 583, 582 आदि के पास से गुजरता

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

हुआ आगे नवलगढ़ तक जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपीलांट व अन्य काफी लोग जो ग्राम भोज्याणा व आस पड़ौस के लोग अपना पशुधन ट्रैक्टर, ट्रेक्टर ट्रोली, पैदल व बच्चों के स्कूल में आवागमन के काम में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते का अंकन जरिए नामान्तकरण संख्या 1705 ग्राम बेरी हाल नवसृजित राजस्व ग्राम भोज्याणा राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में हो गया था व रास्ते की तरमीम खसरा नम्बर 3197 रकबा 0.14 हैक्टेयर अलग नम्बर डाला गया।

(2) उक्त रास्ते में ग्रेवल रोड़ डाली गयी व उक्त रास्ते का उपयोग अपीलांट व अन्य ग्रामवासी तथा अन्य गांवो के लोग काफी अर्से से निरन्तर व निर्बाध रूप से करते आ रहे है तथा उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में भी तरमीम कर उसको नामान्तकरण संख्या 1705 की पुस्त पर दर्शित किया गया है। आगे की जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व नामान्तकरण संख्या 1705 के द्वारा रास्ता खसरा नम्बर 3197/521 रकबा 0.14 हैक्टेयर अलग अंकन न होने से कुछ लोगों द्वारा उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न किए जाने पर अपीलांट व ग्रामवासियों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य उच्च अधिकारियों को उक्त नामान्तकरण संख्या 1705 के अंकन को पुनः चालू जमाबंदी में दर्ज करने का निवेदन किए जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार सीकर ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट चाही। जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 10.10.2023 को नामान्तकरण संख्या 1705 दिनांक 07.06.2007 को रास्ते हेतु स्वीकार हुआ व रास्ते का तरमीम खसरा नम्बर 3197/521 रकबा 0.14 हैक्टेयर व अन्य तरमीम खसरो के संबंध में जांच रिपोर्ट तैयार की व रिपोर्ट दिनांक 10.10.2023 में अंकित किया कि जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में इस नामान्तकरण का अमल हो गया था लेकिन सहवन से इससे आगे वाली जमाबंदी में एवं आज दिनांक की जमाबंदी में भी इस नामान्तकरण का अमल नहीं हुआ।

(3) इस नामान्तकरण के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि काटी गयी थी वो रास्ते के ही काम आ रही है एवं मौके पर ग्रेवल रोड़ बनी हुई है। उक्त रिपोर्ट की पालना में तहसीलदार को नामान्तकरण संख्या 1705 की छूटी हुई प्रविष्टी को आगे के रिकार्ड में अंकित करना था जो न कर नया नामान्तरकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 10 ग्राम भोज्याणा तहसील सीकर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया व गिरदावर हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट सकारात्मक होते हुए भी अधीनस्थ तहसीलदार ने

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अपनी आज्ञा दिनांक 25.01.2024 में भूमि विवादित होने का अंकन कर नामान्तकरण संख्या 10 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की आज्ञा दिनांक 25.01.2024 व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा खारिज फरमा दिया गया है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी में नामान्तकरण संख्या 1705 सक्षम अधिकारी के आदेश से दिनांक 07.06.2007 को एक बार नामान्तरकरण आज्ञा पारित करने के पश्चात हायर आथोरिटी के यहां अपील प्रस्तुत होने पर ही आज्ञा निरस्त की जाने योग्य होती है। प्रस्तुत प्रकरण में किसी सक्षम अथोरिटी द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 1705 को खारिज नहीं किया गया, ना ही तहसीलदार के यहां किसी पक्ष द्वारा रिव्यू आवेदन लगाया, बल्कि अपीलांट द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1705 का अंकन राजस्व रिकार्ड में छूट गया था उसे ययावत चालू राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत आवेदन अपीलांट व अन्य ग्रामवासियो द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार सीकर ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी। पटवारी हल्का द्वारा बाद मौका जांच अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.10.2023 को तहसीलदार सीकर के यहां इस आशय की प्रस्तुत की कि, "ग्राम भोज्याणा पटवार मण्डल बेरी के खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.00 हैक्टेयर में जरिए नामान्तकरण संख्या 1705 दिनांक 07.06.2006 में खसरा नम्बर 3137/521 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म चारागाह (रास्ता हेतु) खसरा नम्बर 3198/521 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 3199/521 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्वीकार हुआ था।"

(5) जमाबंदी संवत 2061–64 में इस नामान्तकरण का अमल हो गया था लेकिन सहवन से इससे आगे वाली जमाबंदी में एवं आज दिनांक की जमाबंदी में भी इस नामान्तकरण का अमल नहीं हुआ था। इस नामान्तकरण के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि काटी गयी थी वो रास्ते के ही काम आ रही है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया। अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों के आवेदन पर ही कार्यवाही शुरू हुई थी लेकिन तहसीलदार ने अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों व प्रभावित पक्षों को कोई नोटिस व सूचना नहीं

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

दी। अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति है उक्त आज्ञा के कायम रहने से अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात होता है व अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा जेर अपील बाला बाला पूर्व की दिनांक में पारित की है जिसकी पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट ने नामान्तकरण संख्या 1705 की प्रविष्टि तहसीलदार द्वारा न करने पर श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) राजस्थान सरकार को आवेदन दिनांक 21.02.2024 को भेजा जिसपर नियमानुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अविलम्ब मंगवाने पर पूर्व की पेशियो में तहसीलदार ने अपनी आज्ञा जेर अपील पारित कर दी। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही हो सकी। दिनांक 30.04.2024 को अपीलांट संख्या 6 के पुत्र ने पटवारी हल्का से जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने नामान्तकरण जेर अपील संख्या 10 ग्राम भोज्याणा की प्रमाणित प्रतिलिपि दी व सारे तथ्य बताये जिस पर अपीलांट ने समस्त कागजात इकट्ठा कर तत्काल अपील प्रस्तुत की है। जानकारी के अभाव में अपीलांट अवधि भीतर अपील प्रस्तुत करने में मजबूर रहा है। अपीलांट के हितों की रक्षा के लिए एवं सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है मियाद का फायदा दिये जाने हेतु आवेदन धारा 5 मियाद कानून मय शपथ पत्र साथ प्रस्तुत है।

(8) अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर की आज्ञा जेर अपील दिनांक 25.01.2024 व उसके आधार पर निरस्त किए गए नामान्तकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा को स्वीकार किए जाने की आज्ञा फरमायी जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, आराजी खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.60 हैक्टेयर तन ग्राम बेरी वर्तमान ग्राम भोज्याणा में स्थित है। उक्त भूमि में से ग्राम बेरी से झाझड़ जाने वाली सड़क से टलकर एक आम रास्ता अपीलांट की कृषि भूमियां खसरा नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

583, 582 आदि के पास से गुजरता हुआ आगे नवलगढ़ तक जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपीलांट व अन्य काफी लोग जो ग्राम भोज्याणा व आस पड़ौस के लोग अपना पशुधन ट्रैक्टर, ट्रेक्टर ट्रोली, पैदल व बच्चों के स्कूल में आवागमन के काम में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते का अंकन जरिए नामान्तकरण संख्या 1705 ग्राम बेरी हाल नवसृजित राजस्व ग्राम भोज्याणा के राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी संवत 2061 से 2064 में हो गया था व रास्ते की तरमीम खसरा नम्बर 3197 रकबा 0.14 हैक्टेयर अलग नम्बर डाला गया। तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त नामान्तरकरण की प्रविष्टि पर **"श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक 2540/राजस्व/2007 दिनांक 7.6.07 की पालना में स्वीकृत किया जाता है।"** का अंकन किया गया है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उसके आगे की जमाबंदी में उक्त रास्ते के नामान्तरकरण का अमल नहीं हो सका। अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों द्वारा उक्त रास्ते के नामान्तरकरण की छुटी हुई प्रविष्टि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में करने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने संबंधित पटवारी हल्का को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया। पटवारी हल्का बेरी ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 10.10.2023 में अंकित किया है कि, **"ग्राम भोज्याणा पटवारी मण्डल बेरी के खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.60 है. में जरिये नामा. सं. 1705 दिनांक 07.06.2007 में ख.नं. 3197/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह (रास्ता हेतु) ख.नं. 3198/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह ख.नं. 3199/521 रकबा 0.05 किस्म चारागाह स्वीकार हुआ था। जमाबंदी संवत् 2061–64 में इस नामा. का अमल हो गया था। लेकिन सहवन से इससे आगे वाली जमाबंदी में भी इस नामा. का अमल नहीं हुआ है। इस नामा. के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि काटी गई थी वो रास्ते के ही काम आ रही है एवं मौके पर ग्रेवल रोड़ बनी हुई है।"** उक्त रिपोर्ट के आधार पर पटवारी हल्का बेरी ने नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 11.10.2023 भरकर भू.अ.नि. के समक्ष प्रस्तुत किया किया जिस पर भू.अ.नि. ने भी पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण की पुष्टि कर वास्ते स्वीकृति तहसीलदार सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने बिना किसी आधार के नामान्तरकरण को विवादित अंकित कर खारिज कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 25.01.2024 बाबत नामान्तरकरण संख्या 10 ग्राम भोज्याणा को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

4. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

(1) ग्राम भोज्याणा के आराजी खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.60 हैक्टेयर तन ग्राम बेरी वर्तमान ग्राम भोज्याणा में जरिये नामा. सं. 1705 दिनांक 07.06.2007 के द्वारा ख.नं. 3197/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह (रास्ता हेतु) ख.नं. 3198/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह ख.नं. 3199/521 रकबा 0.05 किस्म चारागाह स्वीकार हुआ था। जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2061–64 में हो गया था। लेकिन आगे की जमाबंदी में इस नामा. का अमल नहीं हुआ है। जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है।

(2) वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस किये गये कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 10.10.2023 में भी **"ग्राम भोज्याणा पटवारी मण्डल बेरी के खसरा नम्बर 2913/521 रकबा 5.60 है. में जरिये नामा. सं. 1705 दिनांक 07.06.2007 में ख.नं. 3197/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह (रास्ता हेतु) ख.नं. 3198/521 रकबा 0.14 है. किस्म चारागाह ख.नं. 3199/521 रकबा 0.05 किस्म चारागाह स्वीकार हुआ था। जमाबंदी संवत् 2061–64 में इस नामा. का अमल हो गया था। लेकिन सहवन से इससे आगे वाली जमाबंदी में भी इस नामा. का अमल नहीं हुआ है। इस नामा. के द्वारा जो रास्ते हेतु भूमि काटी गई थी वो रास्ते के ही काम आ रही है एवं मौके पर ग्रेवल रोड़ बनी हुई है"** का अंकन किया गया है।

(3) उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1705 दिनांक 07.06.2007 में जो रकबा 0.14 हैक्टेयर अलग काटा गया है वह वर्तमान में भी अपीलांट एवं अन्य ग्रामवासियों के आवागमन में काम आ रहा है।

(4) वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस किये गये कथनानुसार पत्रावली पर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1705 जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक 2540/राजस्व/2007 दिनांक 07.06.2007 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 10 को

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

निरस्त करने के दिनांक 25.01.2024 में **"भूमि विवादित होने के कारण निरस्त किया जाता है।"** का अंकन किया गया है। परन्तु भूमि किस प्रकार से विवादित है इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख उसमें अंकित नहीं किया गया है, और पत्रावली पर भी ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 10 को निरस्त करने की कार्यवाही के दौरान अपीलांट एवं अन्य प्रभावित ग्रामवासियों को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **आंशिक स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर को प्रकरण **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान (अपीलांट एवं प्रभावित ग्रामवासियों) को सुनवायी एवं साक्ष्य के समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों की पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक **03.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर